क्रमांक 1766-ज-(I)-81/33981.—श्री चन्द्रभान, पुत्र श्री भीमा, गांव बेरी, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, दिनांक 28 मई, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चन्द्रभान को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2371-ज-I-76/2520, दिनांक 22 जनवरी, 1977, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती हरदेई के नाम खरीफ़, 1979 में 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 सितम्बर, 1981

क्रमांक 1768-ज(II)-81/34095.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव डौला, तहसील व जिला गुड़गांवा, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 18 सितम्बर, 1981

क्रमांक 1769-ज(II)-81/34162.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री होशियार सिंह, पुत्र श्री जुंग लाल, गांव गुड़गांवा, तहसील व जिला गुड़गांवा को खरीफ, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1757-ज(II)-81/34178.—श्री राम सरन शर्मा, पुत्र श्री हीरा लाल, गांव माखंड, तहसील नरवाना, जिला जींद की दिनांक 5 अगस्त, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम सरन शर्मा को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6269-आर(II)-70/1257, दिनांक 14 जनवरी, 1971 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मरियां देवी के नाम रबी, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 22 सितम्बर 1981

क्रमांक 1810-ज(I)-81/34655.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती शयोबाई, विधवा श्री डूंगर सिंह, ग्राम ढाणा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 24 सितम्बर, 1981

क्रमांक 1764-ज(I)-81/34747.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री श्री राम सिंह, पुत्र श्री गाहड सिंह गांव सांवड, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1977 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 28 सितम्बर, 1981

क्रमांक 1840-ज(I)-81/35172.—श्री पोखर, पुत्र श्री तोता राम, गांव सेहलांग, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 2 फरवरी, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) 1(ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पोखर को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 585-र-III-69/7922, दिनांक 14 अप्रैल, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती जीवली देवी के नाम खरीफ़, 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

द० र० सतीजा,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग।